

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**जनहित याचिका संख्या – 131 / 2026**

राम सागर

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विवेकानंद मिश्रा, रवींद्र कुमार द्विवेदी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

**न्यायालय संख्या – 17****माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेकानंद मिश्रा, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना।
2. प्रस्तुत याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने सुल्तानपुर के परगना-चांदा, तहसील लम्भुआ के ग्राम-खुशेखपुर में स्थित गाटा संख्या 164, क्षेत्रफल 0.0620 हेक्टेयर भूमि, जो 'चक मार्ग' के रूप में दर्ज है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उप-जिलाधिकारी, लम्भुआ, सुल्तानपुर द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि उपरोक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122 (ख) के अंतर्गत वाद संख्या टी 2011046833 संस्थित किया गया था, जिसमें तहसीलदार, लम्भुआ, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 21.02.2024 को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था। कथित अतिक्रमणकारी ने दिनांक 21.02.2024 के आदेश को अपास्त करने के लिए एक आवेदन

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

दायर किया है और आवेदन के निस्तारण के लिए अगली तिथि 05.03.2026 नियत है। निर्देशों में आगे यह भी कहा गया है कि चक मार्ग का सीमांकन पहले ही किया जा चुका है और उस पर खंडजा बिछाया जा रहा है।

4. लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख पर ग्रहण की गई है।

5. तदनुसार, वर्तमान याचिका को तहसीलदार, लम्बुआ, सुल्तानपुर को यह निर्देश जारी करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे मामला संख्या टी 2011046833 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 को अपास्त करने के आवेदन पर निर्णय लें और उपरोक्त मामले का अंतिम निस्तारण भी विधि के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना और अल्प अंतराल पर तिथियां नियत करते हुए तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करें।

20 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)